

नीलामी की सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैन्टीन (बहुखण्डीय भवन) की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 1,92,000/- से नजारत अनुभाग जिला जजी बांदा में दिनांक 27.01.2025 तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 28.01.2025 को निविदा खोली जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के शेष समय (01.02.2025 से 31.03.2025) हेतु सम्बन्धित बोलीदाता की निविदा स्वीकृत होने पर औसत प्रतिमाह की धनराशि पर उसी बोलीदाता को दिया जायेगा।

	दुकान का प्रकार जजी परिसर	न्यूनतम निविदा मूल्य
1.	कैन्टीन बहुखण्डीय भवन	1,92,000/-

- निविदा स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत निविदा की 1/4 राशि 03 दिन में नकद/डी0 डी0 द्वारा जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी। संदर्भित निविदा बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र 03 दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।
- संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
- बोली लगाने वाले को सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- बोलीदाता के पास पैन नम्बर/जी0एस0टी0 आई0एन0 नम्बर का पंजीकरण होना आवश्यक है।
- प्रत्येक निविदा के साथ कैन्टीन बहुखण्डीय भवन हेतु 19,200/- मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट(डी0 डी0), जो 'जनपद न्यायाधीश, बांदा' के नाम देय हो, को बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले 'नजारत अनुभाग जिला न्यायालय बांदा' में जमा किया जाना चाहिए। उक्त डी0 डी0 के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की डी0 डी0 वापस कर दी जायेगी।
- सफल बोलीदाता की डी0 डी0 राशि, शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस की जायेगी।

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज-

- निविदा दस्तावेज की प्रति
- अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- आधार कार्ड/जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र/ आयकर प्रमाण पत्र पिछले तीन वर्ष का, पैन कार्ड
- पिछले एक साल का बैंक स्टेटमेंट
- बोलीदाता का विवरण तथा आउटलेट चलाने के लिये वस्तुओं/ सेवाओं की सूची

Chandrapal

(चन्द्र पाल- I) 21.1.2025

अध्यक्ष नीलामी समिति/

प्रथम अपर जिला जज,

बांदा